

2022  
31/7

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर  
जिला हनुमानगढ

हंसराज

बनाम

बनवारीलाल

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट.

नम्बर 517

सन-2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज  | नम्बर व तारिख |
|-------------|---|---------------|
| 15.06.2022  | <p>वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.07.2022 को पेश हो।</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p><del>उपरोक्त वादी उपस्थित वादी की अग्रे<br/> यस हवासिए अधिवक्ता न बनवारीलाल<br/> उपरोक्त पर प्राथमिकता पत्र विमा की<br/> वाद पत्र पर लम्बा 21/9/22 तक<br/> वादी नही हुए उपस्थित यह पत्र विमा<br/> पर पुनः वाद पत्र पर लम्बा 21/9/22<br/> अतः पुनः वाद पत्र पर लम्बा 21/9/22<br/> न प्राथमिकता पत्र विमा पर<br/> उपस्थित न वादी की यह<br/> उपरोक्त पर लम्बा 21/9/22 तक<br/> सम्मन न प्राथमिकता पत्र विमा पर<br/> लम्बा 21/9/22 तक<br/> उपरोक्त</del></p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)<br/>नोहर (हनुमानगढ)</p> |               |

27/7/22